राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14894/2024

मैसर्स बाबा मिनरल्स, कार्यालय संख्या 11, चौथी मंजिल, अलंकार प्लाजा, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर - 302039, राजस्थान, अपने प्रोपराइटर श्री अभिषेक गोयल, पुत्र श्री श्री गोपाल गोयल, आयु लगभग 39 वर्ष, ई-6, लक्ष्मी नारायण विहार कॉलोनी, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान-305801 के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. अतिरिक्त निदेशक, माल और सेवा कर खुफिया निदेशालय, जयपुर आंचलिक इकाई, सी-62, सरोजिनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001।
3. अतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और माल और सेवा कर आयुक्तालय, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005।
4. राजस्थान राज्य, मुख्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर-302004 के माध्यम से।

----प्रतिवादी

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता के लिए | : | श्री रवि गुप्ता, अधिवक्ता। |
| प्रतिवादी के लिए | : | श्री नरेश गुप्ता, डीजीजीएसटीआई के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील।<br>श्री संदीप तनेजा, एएजी के लिए श्री कार्तिकेय शर्मा, अधिवक्ता। |

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

(29/05/2025 को 01:20:03 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

<u>आदेश</u>

**22/11/2024**

अवनीश झिंगन, जे **[**मौखिक**]:-**

1. यह याचिका दिनांक 31.07.2024 के कारण बताओ नोटिस संख्या F.No.DGGI/ INT/INTL/927/2023-GRA को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में '2017 का अधिनियम') के तहत एक पंजीकृत डीलर है। दिनांक 31.07.2024 को माल और सेवा कर खुफिया निदेशालय, जयपुर आंचलिक इकाई (संक्षेप में 'डीजीजीएसटीआई') के उप निदेशक के कार्यालय द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अतः, यह वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता का आवंटन राज्य क्षेत्राधिकार का है। डीजीजीएसटीआई का उप निदेशक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नहीं हो सकता। 2017 के अधिनियम की धारा 6(1) पर भरोसा किया गया है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्राप्त खुफिया जानकारी, जांच और की गई तलाशी के परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता नकद लेनदेन करके और जारी किए गए जाली चालान पर भरोसा करके जाली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उत्पन्न करने में लिप्त है। यह तर्क दिया जाता है कि दिनांक 09.02.2018 के परिपत्र के अनुसार, ऑडिट आयुक्तालयों और डीजीजीएसटीआई के केंद्रीय कर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की शक्ति होगी।

5. वर्तमान याचिका में चुनौती केवल कारण बताओ नोटिस को है। कारण बताओ नोटिस में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तथ्यों पर आधारित हैं और तथ्यात्मक निर्धारण की आवश्यकता है।

6. याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दाखिल किए बिना ही यह याचिका दायर की है।

(29/05/2025 को 01:20:03 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

7. इस तर्क का निर्धारण करने के लिए कि डीजीजीएसटीआई न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नहीं हो सकता, यह रिट समयपूर्व है और तदनुसार खारिज की जाती है।

**(आशुतोष कुमार), जे** **(अवनीश झिंगन), जे**

एचएस / तनिशा / 83

रिपोर्ट करने योग्य:- हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

Arish Bhalla Law Offices
Corporate office–
PlotNo. 73 (West Part), First Floor, Jem Vihar, Behind Sanganer Stadium, Sanganer-302029, Jaipur (Raj.)

(29/05/2025 को 01:20:03 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)